रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292] नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 1987/ज्येष्ठ 13, 1909
No. 292] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 1987/JYAISTHA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 3 जून, 1987

शुद्धि पत्र

सा. का. नि. 544 (अ) :– भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 131/87–केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1987 में जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 29 अप्रैल, 1987 में सा.का.नि. सं. 414 (अ) के अधीन प्रकाशित की गई थी, उप-पैरा (iii) में, "प्रविष्टियां रखी जाएंगी" अभिव्यक्ति के स्थान पर "प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी" पढ़ें ।

[फा. सं. 346/50/87–टीआरयू]
टी. जयरामन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 3rd June, 1987

CORRIGENDUM

G.S.R. 544(E).—In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 131/87-Central Excises dated the 29th April, 1987 and published under G.S.R. No. 414(E) of the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Sub-section (i) dated the 29th April, 1987, in sub-para (iii) for the expression "and entries shall be substituted," read "and entries shall be inserted,".

[F. No. 346/50/87-TRU]

T. JAYARAMAN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987